

श्री रमेश ऋषि (क्षेत्र सं० 72, सिंहेश्वर), माननीय सं० वि० सं० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-18/2/3576, दिनांक-16.02.2026 का उत्तर प्रतिवेदन :-

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलांतर्गत कुमारखंड प्रखंड के रामगंज, मररहिन पट्टी, वार्ड नं०-01, सुखासन आदि महादलित टोला में प्रति वर्ष सुरसर नदी से कटाव होने के कारण उक्त महादलित परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नदी का कटाव को रोकने हेतु कबतक कटाव रोधी कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलांतर्गत कुमारखंड प्रखंड के रामगंज, मररहिन पट्टी, वार्ड नं०-01, सुखासन आदि महादलित टोला के बगल से सुरसर नदी प्रवाहित होती है। प्रश्नगत स्थलों पर बाढ़ अवधि 2025 में कोई कटाव परिलक्षित नहीं हुआ था तथा वर्तमान में स्थल सुरक्षित है। आगामी बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाएगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(वी०)-05-136/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विधि), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-18/2/3576 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(वी०)-05-136/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(वी0)-05-136/2026-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(वी0)-05-136/2026-

1459 पटना, दिनांक- 25/03/2026
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

24/03/26